-21-

9891163001 34

9/C


# देवेन्द्र अवाना प्रधान

नव निर्माण समिति रजि0 न0 S/24311

जैतपुर विस्तार, पार्ट–I, बदरपुर, नई दिल्ली–44


दिनांक 14/11/11

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4125
Date 23/11/11

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
AREA PLANNING ZONE-E & O
REVIEW OF MPD-2021
NEW SUGGESTION
Dy. No. SUGG 42
DATE 7-12-11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जैतपुर विस्तार भाग-1 को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशन पूरे जैतपुर विस्तार पार्ट-1 का प्रतिनिधित्व करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में जैतपुर विस्तार पार्ट-1 को ओ जोन में दर्शाया गया है, जो कि सरासर गलत है। जैतपुर विस्तार पार्ट-1 यमुना नदी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है व इसकी सभी कालोनियाँ दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में सूचीबद्ध है, जिनमें जैतपुर विस्तार एल ब्लाक 1639/95, जैतपुर विस्तार के ब्लाक 1639/234, एकता विहार जैतपुर 1639/185, अर्पण विहार जे ब्लाक 1639/184, जैतपुर विस्तार ई-1 1639/304, जैतपुर विस्तार पार्ट-1 1639/368, जैतपुर विस्तार पार्ट-1 1639/506, जैतपुर विस्तार ए ब्लाक 1639/516 व जैतपुर विस्तार आई ब्लाक 1639/582 शामिल हैं व इस क्षेत्र की आबादी ही लगभग पचास हजार से ज्यादा है। हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नहीं आते। हमारे बाद हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है।

PS to UDM
See (LL9)

जैतपुर विस्तार पार्ट-1 में ज्यादातर गरीब तबके के लोग आते है, जिन्होनें बेहद मेहनत के बाद अपना आशियाना बनाया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका अपना,

(देवेन्द्र अवाना)
प्रधान

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 2130
Dated 24-4-12

प्रतिलिपीः-

1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।

Dy. No. 1759
Dt. 14-5-12